भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 524
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पुराने विमानपत्तनों का उन्नयन

524. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पुराने विमानपत्तनों और अवसंरचना के उन्नयन और रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले टियर श्री शहरों में विमानपत्तनों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए टियर श्री शहरों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : हवाईअड्डों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एवं अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ता द्वारा समय-समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक कारणों, यातायात की माँग/एयरलाइनों की ऐसे हवाईअड्डों से/के लिए परिचालन करने की इच्छा के आधार पर यह कार्य किया जाता है।

(ख) और (ग) : नागर विमानन मंत्रालय ने देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 'असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों के पुनरुद्धार' योजना के तहत विकास और उन्नयन के लिए 'उड़ान' बोली प्रक्रिया के चरणों के माध्यम से अभिनिर्धारित मौजूदा हवाईपट्टियों के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई संपर्क बनाना है। योजना के तहत बोली प्रक्रिया के पाँच चरणों के समापन पर 13 हेलीपोर्टों और 02 वाटर एयरोड्रोमों सहित 85 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 579 मार्गों को चालू किया गया है।

*****